



प्रधान महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम-695 001  
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E)  
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM-695 001



P19/IV/DRSSA/40

05.09.2023

To,

✓ All District/Sub Treasury Officer/Banks

Sir,

- Sub:**
1. Grant enhanced rate of Dearness Relief @ 221% w.e.f. 01.01.2023 to the pensioners/family pensioners of the State Government and State Autonomous Bodies/Undertakings of Uttarakhand, who are drawing pay in the 6<sup>th</sup> Pay band/grade or whose pay has not been revised in accordance with the 7<sup>th</sup> Pay Commission - reg.
  2. Grant of Dearness Relief @ 42% w.e.f. 01.01.2023 to pensioners/family pensioners whose pension is revised as per the recommendations of 7<sup>th</sup> Pay Commission - reg.

**Ref:**

1. SSA No. Letter No. P.A./Pension/Dearness Relief/Uttarakhand/2023-24/752 dated 11/07/2023 received from the office of the Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun.

2. O.M. No.126930/XXVII (7)/E-22807/2022, dated 02.06.2023, of Government of Uttarakhand Finance, (G.R-P.C.)-Section -7.
3. O.M. No.126933/XXVII (7)/E-22807/2022, dated 02.06.2023, of Government of Uttarakhand Finance, (G.R-P.C.)-Section -7.
4. O.M. No.126934/XXVII (7)/E-22807/2022, dated 02.06.2023, of Government of Uttarakhand Finance, (G.R-P.C.)-Section -7.
5. O.M. No.126937/XXVII (7)/E-22807/2022, dated 02.06.2023, of Government of Uttarakhand Finance, (G.R-P.C.)-Section -7.


P.T.O.



I am to enclose herewith the copy of SSA received from the office of the Accountant General (A&E), Uttarakhand regarding the subjects captioned above. The same is being placed in the official website of this office, [www.cag.gov.in/ae/kerala/en](http://www.cag.gov.in/ae/kerala/en), under pension - download under the link "Treasury Endorsement of Orders for other state Pensioners". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasuries.

**Encl.: As stated above.**

Yours faithfully



12/9/23

Sr. Accounts Officer

Copy to:-

1. The Director of Treasuries  
Thiruvananthapuram
2. The Office of the Principal Accountant General (A&E)  
Uttarakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh  
Dehradun - 248195  
**(For information)**

-sd/-

Sr. Accounts Officer



P19/IV/DRSSA/40

26.7.23

## कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-उत्तराखण्ड

"महालेखाकार भवन" कौलागढ़, देहरादून - 248195

फोन:0135-2970866, 2970867 फैक्स: 0135-2970859, 2970865

पत्रांक:-पी.ए./पेंशन/मंहगाईराहत/उत्तराखण्ड/2023-24/752

दिनांक: 17/07/2023

सेवा में,

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	राज्य	राजधानी	पिन कोड
1	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी )	गुजरात	अहमदाबाद	380009
2.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी )	मेघालय	शिलोंग	793001
3.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी )	असम	गोवाहाटी	781029
4.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी )	झारखण्ड	रांची	834002
5.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी )	बिहार	पटना	800001
6.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी )	केरल	तिरुवनंतपुरम	695039
7.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी )	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	474002
8.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी )	तमिलनाडु	चेन्नई	600018
9.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी )	महाराष्ट्र	मुम्बई	400020
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी )-II	महाराष्ट्र	नागपुर	440001
11.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी )	कर्नाटक	बेंगलुरु	560001
12	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी )	उड़ीशा	भुवनेश्वर	751001
13.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी )	पंजाब	चंडीगढ़	160017
14.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी )	हरियाणा	चंडीगढ़	160047
15.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी )	हिमाचल प्रदेश	शिमला	171003
16.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी )	राजस्थान	जयपुर	302005
17.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी )-I	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	226010
18	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी )II	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज	211001
19	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी )	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	700001
20	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी )	जम्मू कश्मीर	श्रीनगर	190009
21	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी )	मणिपुर	इम्फाल	795001
22.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी )	त्रिपुरा	अगरतला	799006
23	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी )	नागालैंड	कोहिमा	797001
24	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी )	छत्तीसगढ़	रायपुर	492111
25	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी )	मिज़ोरम	आइजोल	796001
26	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी )	सिक्किम	गंगटोक	737102
27	वेतन एवं लेखाधिकारी -V, पेंशन, तीस हज़ारी, नई दिल्ली,	नई दिल्ली	नई दिल्ली	110124
28	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी )	गोवा	पणजी	403101
29	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी )	पोंडीचेरी	पोंडीचेरी	605001
30	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी )	अरुणाचल प्रदेश	नाहरलागन	791110
31	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी )	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	520001
32	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी )	तेलंगाना	हैदराबाद	500004

P19  
96182  
18/7/23



# कार्यालय महालेखाकार (ले.एवं हक.) -उत्तराखण्ड

## “महालेखाकार भवन” कौलागढ देहरादून-248195

पत्रांक: पी.ए./पेंशन/ 22-23/752

दिनांक: 11/07/2023

### “विशेष मुद्रा प्राधिकार”

सेवा में,

सभी प्रधान महालेखाकार /महालेखाकार (लेखा एवं हक०) कार्यालय

- ✓ **विषय-1.** छठवें केंद्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों/ उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का 01 जनवरी, 2023 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।
- ✓ **विषय-2.** राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गई है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।
- विषय-3.** राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गई है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।
- ✓ **विषय-4.** राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों, तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवाँ पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, दिनांक 01 जनवरी, 2023 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान।


- संदर्भ:- (1) सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त, (सा०नि-वे०आ०) अनुभाग-7 संख्या:-  
126933/XXVII(7)/E-22807/2022 देहरादून, दिनांक: 02.06.2023 |
- संदर्भ:- (2) सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त, (सा०नि-वे०आ०) अनुभाग-7 संख्या:-  
126930/XXVII(7)/E-22807/2022 देहरादून, दिनांक: 02.06.2023 |
- संदर्भ:- (3) सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त, (सा०नि-वे०आ०) अनुभाग-7 संख्या:-  
126934/XXVII(7)/E-22807/2022 देहरादून, दिनांक: 02.06.2023 |
- संदर्भ:- (4) सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त, (सा०नि-वे०आ०) अनुभाग-7 संख्या:-  
126937/XXVII(7)/E-22807/2022 देहरादून, दिनांक: 02.06.2023 |

महोदय,

वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित शासनादेश की प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराएं।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय



वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन





उत्तराखण्ड शासन

वित्त(वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7

संख्या-~~126933~~ XXVII(7)/E-22807/2022

देहरादून: दिनांक मई, 2023

02 जून

कार्यालय-ज्ञाप

विषय: छठवें केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों/उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते का 01 जनवरी, 2023 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-77444/XXVII(7)/E-22807/2022 दिनांक 18 नवम्बर, 2022 द्वारा राज्य सरकार और स्वायत्तशासी निकायों/उपक्रमों के उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतनमानों में बने रहने का विकल्प चुना है अथवा जिनके वेतन और भत्ते भिन्न-भिन्न कारणों से सातवें पुनरीक्षित वेतनमानों में संशोधित नहीं किए गए हैं, उन्हें दिनांक 01-07-2022 से मूल वेतन का 212% की दर से मंहगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।

2. भारत सरकार के पत्र संख्या-1/3(1)/2008-ई.11(बी) दिनांक 10 अप्रैल, 2023 के क्रम में राज्य सरकार और राज्य स्वायत्त निकायों/उपक्रमों के उन कर्मचारियों को, जो छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार छठवें वेतन बैंड/ग्रेड वेतन में अपने वेतन एवं भत्ते आहरित कर रहे हैं अथवा जिनका वेतन अभी सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं किया गया है, को उन्हें दिनांक 01-01-2023 से स्वीकार्य मंहगाई भत्ते की मौजूदा दर 212% को बढ़ाकर 221% प्रतिमाह किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों, जिन्हें शासकीय कार्मिकों के समान छठवां वेतनमान अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5. मंहगाई भत्ता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित किये गये हैं, यथावत् लागू रहेंगे।

6. उक्त कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 30 अप्रैल, 2023 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। दिनांक 01-05-2023 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ किया जायेगा परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नगद भुगतान की जायेगी।

Signed by Dilip Jawalkar

Date: 01-06-2023 15:29:18

(दिलीप जावलकर)

सचिव।

संख्या-~~126933~~ (1)/XXVII(7)/E-22807/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते



/2023

3/2023

हुए अपने अधीनस्थ निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रक्रिया स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड।
13. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।
14. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, देहरादून।
15. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
16. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
17. निदेशक, आडिट, उत्तराखण्ड।
18. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Ganga Prasad  
Date: 01-06-2023 15:49:38

(गंगा प्रसाद)  
अपर सचिव।



①

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त (सा0नि0-वे0आ0)अनुभाग-7  
संख्या-126930/XXVII(7)/E-22807/2022  
देहरादून: दिनांक: मई, 2023  
02 जून  
कार्यालय ज्ञाप

Government of Uttarakhand  
Finance (G.R-P.C.) Section-7  
No-126930/XXVII(7)/E-22807/2022  
Dehradun: Dated May, 2023  
02 JUNE

**Office Memorandum**

विषय: राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

Subject: Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Government whose pension is not revised according with the recommendation of the 7<sup>th</sup> pay Commissions.

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-77442 /XXVII(7)/E-22807/2022 दिनांक 18 नवम्बर, 2022 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए दिनांक 01-01-2023 से 212 प्रतिशत के स्थान पर 221 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

① ✓  
The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01-01-2023 @ 221% instead of 212% superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 77442/XXVII(7)/E-22807/2022 Dated 18 November, 2022 for those pensioners whose pension is not revised according with the recommendation of the 7<sup>th</sup> pay Commissions.

3. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

3. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.

4. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

4. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252 /दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

5. As per orders issued in O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

6. महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

6. Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

Signed by Dilip Jawalkar

Date: 01-06-2023 15:26:57

(दिलीप जावलकर)  
सचिव।

(Dilip Jawalkar)  
Secretary.



संख्या- 126930 (1)/XXVII(7)/E-22807/2022

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियों इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इस की प्रतियों उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कौषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 50 प्रतियाँ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

126930  
No (1)/XXVII(7)/E22807/2022, the dated.

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1. Accountant General Uttarakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
2. All Additional Chief Secretaryies / Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.
3. Principal Secretary/Secretary, Public Industry Development Department/Urban Development, Govt. of Uttarakhand with the request that the admisibility of dearness relief may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/sector and there is no need of finance Department Consent.
4. All Commissioner/District Magistrate, Uttarakhand.
5. All Heads of Departments /Offices, Uttarakhand.
6. Director, Treasury, Pension and Hukdari, Uttarakhand.
7. Director, Departmental Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand.
8. All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.
9. Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 50 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-7, Govt. of Uttarakhand.

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद)  
अपर सचिव।

By Order,

Signed by Ganga Prasad

Date: 01-06-2023 15:49:08  
(Ganga Prasad)

Additional Secretary.



उत्तराखण्ड शासन  
वित्त (सा0नि0-वे0आ0) अनुभाग-7  
संख्या-126934/XXVII(7)/E-22807/2022  
देहरादून: दिनांक: मई 2023  
01 जून  
कार्यालय ज्ञाप

Government of Uttarakhand  
Finance (G.R-P.C.) Section-7  
No- / XXVII(7)/E-22807/2022  
Dehradun: Dated May 2023  
02 JUNE

विषय: राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

**Office Memorandum**  
Subject: Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Government whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7<sup>th</sup> pay Commissions.

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित की गयी है को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-74729 /XXVII(7)/E-22807/2022 दिनांक 08 नवम्बर, 2022 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए दिनांक 01-01-2023 से 38 प्रतिशत के स्थान पर 42 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01-01-2023 @ 42% instead of 38 % superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 74729/XXVII(7)/E-22807/2022 Dated 08 November, 2022 for those pensioners whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7<sup>th</sup> pay Commissions.

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.

3. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

3. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252 /दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

4. As per orders issued in O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

5. महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

5. Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

Signed by Dilip Jawalkar

Date: 01-06-2023 15:30:11

(दिलीप जावलकर)  
सचिव।

(Dilip Jawalkar)  
Secretary.



126934  
संख्या- / XXVII(7)/E-22807/2022, तददिनांक।  
प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्यवाही हेतु प्रेषित।

126934  
No / XXVII(7)/E-22807/2022, the dated.  
Copy forwarded to following for information  
and necessary action.

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इस की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, डालनवाला, देहरादून।
8. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 50 प्रतियाँ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

- 1- Secretary, to the Governor, Uttarakhand.
- 2- All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.
- 3- Additional Chief Secretary/Secretary, Public Industry Development Department/Urban Development, Govt. of Uttarakhand with the request that the admisibility of dearness relief may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/undertaking and there is no need of finance Department Consent.
- 4- All Commissioner/District Magistrate, Uttarakhand.
- 5- All Heads of Departments /Offices, Uttarakhand.
- 6- Accountant General Uttarakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
- 7- Director, Treasury, Pension and Hukdari, Utatrakhand .
- 8- Director, Departmental Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand .
- 9- All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.
- 10- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 50 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-7, Govt. of Uttarakhand Please.

आज्ञा से,

By Order,

(गंगा प्रसाद)  
अपर सचिव।

Signed by Ganga Prasad  
Date: 01-06-2023 15:50:23  
(Ganga Prasad)  
Additional Secretary.



1/126937/2023

1/126937/2023

(2)

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7  
संख्या-126937/XXVII(7)/E-22807/2022  
देहरादून: दिनांक मई, 2023  
02 जून  
कार्यालय-ज्ञाप

विषय: राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को दिनांक 01 जनवरी, 2023 से बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ते का भुगतान।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-74730/XXVII(7)/E-22807/2022 दिनांक 08 नवम्बर, 2022 द्वारा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को दिनांक 01 जुलाई, 2022 से 38% की दर से प्रतिमाह मंहगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/3/2023-E-II(B) दिनांक 03 अप्रैल, 2023 के क्रम में राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उन्हें दिनांक 01-01-2023 से मूल वेतन में अनुमन्य मंहगाई भत्ते की वर्तमान दर 38% को बढ़ाकर 42% प्रतिमाह किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4. उक्त कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 30 अप्रैल, 2023 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। 01 मई, 2023 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जायेगा परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नकद भुगतान की जायेगी।

5. उक्त वर्णित शर्तों एवं पूर्व में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत मंहगाई भत्ता उत्तराखण्ड राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

Signed by Dilip Jawalkar

Date: 01-06-2023 15:30:57

(दिलीप जावलकर)  
सचिव।

संख्या-126937-  
(1)/XXVII(7)/E-22807/2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते



37/2023

937/2023

हुए अपने अधीनस्थ निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रकिया स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. वरिष्ठ वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड।
13. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।
14. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, देहरादून।
15. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
16. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
17. निदेशक, आडिट, उत्तराखण्ड।
18. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Ganga Prasad

Date: 01-06-2023 15:50:50

(गंगा प्रसाद)

अपर सचिव।



**OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-UTTARAKHAND  
'MAHALEKHAKAR BHAWAN' KAULAGARH, DEHRADUN-248195**

No. PA/Pension/2022-23/752

Dated 11.07.2023

**"SPECIAL SEAL AUTHORITY"**

To

**All Offices of the Principal Accountants General/Accountants General (A&E)**

- Subject-1.** Payment of dearness allowance at increased rate from 01<sup>st</sup> January 2023 for the Employees of State Government and Autonomous Bodies/Undertakings drawing salary under Sixth Central Pay Scale.
- Subject-2.** Sanction of dearness relief to such Civil/Family Pensioners of State Government whose pension has not been revised as per the recommendations of Seventh Pay Commission.
- Subject-3.** Sanction of dearness relief to such Civil/Family Pensioners of State Government whose pension is revised as per the recommendations of Seventh Pay Commission.
- Subject-4.** Payment of Dearness Allowance at increased rate from 01<sup>st</sup> January, 2023, to State Employees, Regular and Full Time Employees of Aided Educational and Technical Educational Institutions and Urban Local Bodies, Work Charged Employees and officials working in UGC Pay Scale, who have been allowed the Seventh Revised Pay Scale.
- Reference:-** (1) Secretary, Government of Uttarakhand, Finance, (Sa.Ni-Ve.Aa.) Section- 7, No. 126933/XXVII(7)/E-22807/2022 Dehradun, dated 02.06.2023.
- Reference:-** (2) Secretary, Government of Uttarakhand, Finance, (Sa.Ni-Ve.Aa.) Section-7, No. 126930/XXVII(7)/E-22807/2022 Dehradun, dated 02.06.2023.
- Reference:-** (3) Secretary, Government of Uttarakhand, Finance, (Sa.Ni-Ve.Aa.) Section-7, No. 126934/XXVII(7)/E-22807/2022 Dehradun, dated 02.06.2023.
- Reference:-** (4) Secretary, Government of Uttarakhand, Finance, ((Sa.Ni-Ve.Aa.) Section-7, No. 126937/XXVII(7)/E-22807/2022 Dehradun, dated 02.06.2023.

Sir,

Copies of the above referred Government Orders, issued by the Department of Finance, Uttarakhand, are being sent enclosed herewith. You are requested to circulate the above cited order to all the Treasury Officers/Pension Payment Officers under your jurisdiction and issue directions to take action as per rules and inform this office of the action taken.

**Encl. : as above**

**Yours faithfully,  
Sd/-  
Sr Accounts Officer/Pension**



**GOVERNMENT OF UTTARAKHAND  
FINANCE (VE.AA.-SA.NI.) SECTION-7  
No. 126933/XXVII(7)/E-22807/2022  
DEHRADUN, DATED 02<sup>ND</sup> JUNE, 2023**

**OFFICE MEMORANDUM**

**Sub:** Payment of Dearness Allowance at increased rate, from 01<sup>st</sup> January, 2023 to the employees of State Government and Autonomous Bodies/Undertakings, who are drawing pay in the Sixth Central Pay Scale.

Vide Department of Finance, Government Order No. 77444/XXVII(7)/E-22807/2022 dated 18<sup>th</sup> November, 2022, Dearness Allowance at the rate of 212% of Basic Pay has been allowed from 01.07.2022, to those employees of the State Government and Autonomous Bodies/Undertakings, who have opted to remain in the Pay Scales recommended by the Sixth Central Pay Commission or whose pay and allowances have not been revised in the Seventh Revised Pay Scales, due to various reasons.

2. In continuation to Government of India, letter no. 1/3(1)/2008-E II(B) dated 10<sup>th</sup> April, 2023, the Honourable Governor is pleased to accord sanction to increase the present rate of admissible dearness allowance of 212% to 221% per month from 01.01.2023, to those employees of the State Government and State Autonomous Bodies/Undertakings, who are drawing their pay and allowances in the sixth pay band/grade pay as per the recommendations of the Sixth Central Pay Commission or whose pay has not yet been revised in terms of the recommendations of the Seventh Pay Commission.

3. This order shall not be applicable suo-moto on the Honourable Judges of High Court, Chairman and members of Uttarakhand Public Service Commission, employees of Local Bodies and Public Undertaking etc. In respect of them, separate orders are required to be issued by the concerned department.

4. This order shall also be applicable on those teaching and non-teaching staff of educational institutions aided by state funds, under the Department of Education/Technical Education, who are allowed the Sixth Pay Scale similar to Government employees.

5. Other terms and conditions regarding the sanction of Dearness Allowance as prescribed in the Government Orders issued earlier, shall remain in force.

6. The arrear of revised dearness allowance from 01<sup>st</sup> January, 2023 to 30<sup>th</sup> April, 2023 shall be paid in cash, to the above employees. Payment of dearness allowance shall be made regularly with pay from 01.05.2023. But the pension contribution of the employees covered by the Contributory Pension Scheme, along with equivalent amount of employer's contribution shall be deposited in the respective account of New Pension Scheme and the remaining amount shall be paid in cash.

Signed by Dilip Jawalkar  
Date: 01-06-2023 15:29:18

**(Dilip Jawalkar)**  
Secretary

No.: 126933(1)/xxvii(7)/E-22807/2022, even dated

Copy forwarded to the following for information and necessary action :-

1. Accountant General, Uttarakhand, Dehradun.
2. Secretary, Hon. Governor, Uttarakhand.
3. All Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary/Secretary in Charge, Government of Uttarakhand.
4. Secretary, Legislative Assembly, Uttarakhand, Dehradun.
5. Principal Secretary/Secretary, Urban Development Department/Public Enterprise Development Department, Govt of Uttarakhand .....



**GOVERNMENT OF UTTARAKHAND  
FINANCE (VE.AA.-SA.NI.) SECTION-7  
No. 126937/XXVII(7)/E-22807/2022  
DEHRADUN, DATED 02 JUNE, 2023**

**OFFICE MEMORANDUM**

**Sub :** Payment of Dearness Allowance at increased rate from 01<sup>st</sup> January, 2023, to State Employees, Regular and Full Time Employees of Aided Educational and Technical Educational Institutions and Urban Local Bodies, Work Charged Employees and officials working in UGC Pay Scale, who have been allowed the Seventh Revised Pay Scale.

Vide Department of Finance, Government Order No. 74730/XXVII(7)/E-22807/2022 dated 08 November, 2022, Dearness Allowance at the rate of 38% has been allowed from 01<sup>st</sup> July 2022, to those Government employees of the State Government, to whom the Seventh Revised Pay Scale is allowed.

2. In continuation to Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, New Delhi OM No.1/3/2023 E-II(B) dated 3<sup>rd</sup> April, 2023, the Honourable Governor is pleased to accord sanction to increase the existing rate of admissible dearness allowance in Basic Pay, from 38% of to 42% per month w.e.f. 01.01.2023, under pre-determined terms and conditions, to those State Employees, Regular and Full Time Employees of Aided Educational and Technical Educational Institutions and Urban Local Bodies, Work Charged Employees and officials working in UGC Pay Scale, who have been allowed the Seventh Revised Pay Scale.

3. This order shall not be applicable suo-moto on the Judges of the Honourable High Court, Chairman and members of Uttarakhand Public Service Commission and the employees of Local Bodies and Public Undertaking etc. In respect of them, separate orders are required to be issued by the concerned department.

4. The arrear of revised dearness allowance from 01<sup>st</sup> January, 2023 to 30<sup>th</sup> April, 2023 shall be paid in cash, to the above employees. Payment of dearness allowance shall be made with regular pay from 01<sup>st</sup> May 2023. But the pension contribution of the employees covered by the Contributory Pension Scheme, along with employer's contribution shall be deposited in the respective account of New Pension Scheme and the remaining amount shall be paid in cash.

5. Under the above conditions and the terms/conditions described earlier, the Dearness Allowance sanctioned as above shall be permissible to All India Service Officers, working under the Uttarakhand State.

Signed by Dilip Jawalkar  
Date: 01-06-2023 15:30:57

**(Dilip Jawalkar)**  
Secretary

No.: 126937(1)/XXVII(7)/E-22807/2022, even dated

Copy forwarded to the following for information and necessary action :-

1. Accountant General, Uttarakhand, Dehradun.
2. Secretary, Hon. Governor, Uttarakhand.
3. All Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary/Secretary in Charge, Government of Uttarakhand.
4. Secretary, Legislative Assembly, Uttarakhand, Dehradun.
5. Principal Secretary/Secretary, Urban Development Department/Public Enterprise Development Department, Govt of Uttarakhand .....